आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश

(दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)

कार्यालय आईई.सी. ब्यूरो के प्रथम तल पर स्थित,

जयप्रकाश चिकित्सालय परिसर, भोपाल दूरभाष नम्बर 0755-2762286

क्रमांक/जी.एम.ओ./ए.बी/ 2023/ 1032 **भोपाल,दिनांक 21 /06/2023**

प्रति,

जिला कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय:- दिनांक 27 जून 2023 को जिला-शहडोल में, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों से आयुष्मान कार्ड वितरण एवं सिकल सेल ऐनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ कार्यक्रम के संबंध में दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 27 जून 2023 को जिला शहडोल में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर-कमलों से **आयुष्मान कार्ड वितरण एवं सिकल सेल ऐनीमिया उन्मूलन मिशन 2047** का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

उक्त दिनांक पर सभी सभी नगरीय निकायों **एवं** ग्राम पंचायतों में निम्नानुसार विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

(अ) नगरीय निकायों में :-

1. कार्यक्रम के एक दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 26 जून 2023 को स्थानीय नागरिकों को कार्यक्रम में उपस्थित होने हेतु आशा/ऊषा कार्यकर्ताओं के माध्यम से **घर-घर जाकर आमंत्रित** किया जायेगा।
2. कार्यक्रम स्थल पर **आयुष्मान योजना से संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री/ बेनर** निर्धारित प्रारूप में प्रदर्शित किये जायेंगे।
3. दिनांक 27 जून 2023 को कार्यक्रम स्थलों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के शहडोल में आयोजित कार्यक्रम का **लाइव वेब कास्ट** किया जायेगा।
4. कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना के **लाभार्थियों के नामों का वाचन** किया जायेगा।
5. कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना के लाभों के बारे में जानकारी दी जायेगी, हितग्राहियों को पी.वी.सी. कार्ड वितरण किये जायेंगे एवं आयुष्मान कार्ड बनाने की विधि के बारे में समझाया जायेगा।
6. कार्यक्रम की कार्यवाही के फोटोग्राफ लिये जायेंगे तथा वीडियोग्राफी की जायेगी। फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यक्रम के पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA) को प्रेषित किये जायेंगे।
7. **PVC कार्ड वितरण करते समय हितग्राहियों का e-KYC किया जाना अनिवार्य है।**

Scanned with OKEN Scanner

8. योजनातंर्गत लाभांवित हितग्राहियों द्वारा मंच से अपने अनुभव साझा किये जायेंगे।

9. नगरीय निकाय क्षेत्र के **सार्वजनिक स्थलों** पर आयुष्मान भारत **हितग्राहियों के नामों की सूची चस्पा** की जायेगी।

10. कार्यक्रम में एक धन्यवाद प्रस्ताव रखा जायेगा जिसमें उन लाभार्थियों के हस्ताक्षर होंगे जिन्हें योजनान्तर्गत उपचार लाभ मिला है।

प्रत्येक जिले में प्रभावी कार्यक्रम आयोजित करने वाले 03 नगरीय निकायों को जिला स्तर पर प्रशंसित किया जायेगा। इसके चयन का आधार कार्यक्रम में नागरिकों की उपस्थिति, आयुष्मान भारत योजना से संबंधित प्रचार.प्रसार सामग्री, बेनर इत्यादि का प्रदर्शन, जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का वेब कास्ट, हितग्राहियों द्वारा अनुभव साझा किये जाना एवं कार्यक्रम की वीडियो ग्राफी किया जाना होगा।

(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में :-

सभी ग्राम पंचायतों में **आयुष्मान ग्राम सभा** के नाम से **विशेष ग्राम सभाओं** का आयोजन किया जाएगा। इन आयुष्मान ग्राम सभाओं के आयोजन हेतु अधिसूचना जारी किया जाना है ।

उल्लेखित ग्राम सभाओं में निम्नानुसार गतिविधियां संपादित की जायेगी :-

1. कार्यक्रम के एक दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 26 जून 2023 को ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा स्थानीय नागरिकों को आयुष्मान ग्राम सभा में उपस्थित होने हेतु आशा/GRS/VLE कार्यकर्ताओं के माध्यम से **घर-घर जाकर आमंत्रित** किया जायेगा ।
2. आयुष्मान ग्राम सभाओं/ कार्यक्रम स्थल पर **आयुष्मान योजना से संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री/ बेनर** निर्धारित प्रारूप में प्रदर्शित किये जायेंगे (निर्धारित प्रारूप संलग्न) ।
3. दिनांक 27 जून 2023 को सभी ग्राम पंचायतों में माननीय प्रधानमंत्री जी के शहडोल में आयोजित कार्यक्रम का **लाइव वेब कास्ट** किया जायेगा ।
4. संलग्न सूची अनुसार **20 जिलों के 89 आदिवासी विकास खण्डों** में उक्त निर्धारित कार्यक्रम पंचायत भवन के स्थान पर **हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर पर आयोजित** किया जायेगा ।
5. ग्राम सभाओं में आयुष्मान भारत योजना के सभी हितग्राहियों के **नामों का वाचन** किया जायेगा ।
6. ग्राम सभाओं में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने की विधि के बारे में समझाया जायेगा।
7. जन प्रतिनिधियों द्वारा आयुष्मान भारत योजना के लाभों के बारे में जानकारी दी जायेगी एवं हितग्राहियों को पी.वी.सी. कार्ड वितरण किये जायेंगे ।
8. योजनातंर्गत लाभान्वित हितग्राहियों द्वारा मंच से अपने अनुभव साझा किये जायेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

9. ग्राम सभा की कार्यवाही के फोटोग्राफ लिये जायेंगे तथा वीडियोग्राफी की जायेगी। फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यक्रम के पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को प्रेषित किये जायेंगे।

10. PVC कार्ड वितरण करते समय हितग्राहियों का **e-KYC किया जाना अनिवार्य है** । e-KYC का कार्य ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा किया जायेगा ।

11. ग्राम पंचायत क्षेत्र के **सार्वजनिक स्थलों** पर आयुष्मान भारत के सभी हितग्राहियों **के नाम की सूची चस्पा** की जायेगी।

12. आयुष्मान ग्राम सभा में एक धन्यवाद प्रस्ताव रखा जायेगा जिसमें उन लाभार्थियों के हस्ताक्षर होंगे जिन्हें योजनान्तर्गत उपचार लाभ मिला है।

प्रत्येक जिले में प्रभावी ग्राम संभायें आयोजित करने वाली 10 ग्राम पंचायतों को जिला स्तर पर प्रशंसित किया जायेगा। इसके चयन का आधार ग्राम सभा में नागरिकों की उपस्थिति, आयुष्मान भारत योजना से संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री, बेनर इत्यादि का प्रदर्शन, जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का वेब कास्ट, हितग्राहियों द्वारा अनुभव साझा किये जाना एवं कार्यक्रम की वीडियो ग्राफी किया जाना होगा।

कृपया उक्त दिशा-निर्देशों अनुसार कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।

(संलग्न- उपरोक्तानुसार)

(मोहम्मद सुलेमान)
अपर मुख्य सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.

क्रमांक/जी.एम.ओ./ए.बी/ 2023/ 1033 **भोपाल,दिनांक 21/06/2023**

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय म.प्र.।
2. स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
3. समस्त संभागायुक्त म.प्र.।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र.।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत 'निरामयम्' म.प्र.।
6. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत 'निरामयम्' म.प्र.।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA) म.प्र.।
9. निज सहायक , माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।

अपर मुख्य सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner